GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD
****

RBE No. 51/2015

No.E(MPP)2015/3/6 New Delhi, dated: 22-05-2015

The General Managers,
All Indian Railways/PUs
Metro Railway/Kolkata
Railway Electrification/Allahabad
DG/RDSO/Lucknow
CAO/DMW/Patiala
CAO/COFMOW/New Delhi

Sub: Recognition of Training Centres on Indian Railways.

Kindly refer to Board's letter No.E(MPP)2001/3/9 dated 18.9.2003 (RBE No163/2003) wherein Railways were advised to send the proposals for opening of new Training Centres to Management Services Directorate of Railway Board for consideration and approval.

It has, however, been observed that Railways, despite all instructions have continued to set up new Training Centres without making any detailed analysis of the requirement as also needs of the Zonal Railways/PUs, on their own, without any knowledge of Railway Board.

In order to curb this mushrooming of Training Centres on Indian Railways, Railway Board has decided that :

- A Standing Committee in the Zonal Railway/PU with Chief Personnel Officer (as Convenor), FA&CAO and nominated Training Manager of the Department concerned may be formed. This Committee would review the need and requirement of setting up of new Training Centres/Up-dation of existing Training Centres etc., keeping in mind the existing facilities, existing infrastructure and also the need to merge one or two training centres to cater to the additional requirement. The Committee shall also review the need for continuation of existing training centres.
- All the proposals, recommended by the Standing Committee giving detailed justification will need to be approved by Addl. General Manager or by General Manager in case AGM is not available before being sent to Board (Training Directorate) for approval.
- It will be the responsibility of the Standing Committee to ensure that no Training Centre is allowed to open without their clearance and without Board's approval.

Board desire that Railways/PUs may strictly adhere to the above instructions. No proposal, henceforth, for opening/updation of a new training centre or recognition of training centre on IR will be considered in Board without approval of the Standing Committee.

21/5/15

(Anuradha Singh)
Director (MPP)
Railway Board.

Contd.../

No.E(MPP)2015/3/6 New Delhi, dated:21-05-2015

Copy to:

1. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi for information with 35 spares.
2. The General Secretary, AIRF, 4 State Entry Road, New Delhi for information with 35 spares.
3. The Secretary General, FROA, R.No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi for information with 5 spares.
4. The Secretary General, IRPOF, R.No.268, Rail Bhavan, New Delhi for information with 5 spares.
5. All Members, Department Council & Secretary Staff side National Council 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi with 90 spares.
6. The General Secretary, AIRPF Association, Room No.256-D, Rail Bhavan, New Delhi with 5 spares.
7. General Secretary, All India SC & ST Railway Employees Association, 171/B-3, Basant Lane Railway Colony, New Delhi (15 copies).

For Secretary/Railway Board

No.E(MPP)2015/3/6 New Delhi, dated: 22-05-2015

Copy to:

I. PS & ED(PG) to MR, MOS(R)
II. PSO/Sr.PPS to CRB, FC, ML, ME, MM, MS, MT, DG(RHS) & DG(RPF)
III. Sr.PPS/PPS/PS to AM(Budget), AM(CE), AM(C&IS), AM(Comml.), AM(Elect), AM(Fin), AM(Mech.), AM(Plg.), AM(Project), AM(PU), AM(Sig.), AM(Staff), AM(RS), AM(T&C), AM(Tele), AM(Traffic), AM(Works), Adv.L(RS), Adv(Vig.), Adv.Fin(Exp), Adv(IR), Adv(Safety), LA, OSD(MIS).
IV. ED(Plg.), ED(Accts.), EDF(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg.), ED(CHG), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev), EDEE(G), EDE, ED(RRB), EDE(N), EDE(Res), EDF, EDF€, EDF(S), EDF(B), EDF(RM), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDLM, ED(MIS), EDE(GC), ED(T&MPP), EDME(Chg.), EDME(Fr.), EDME(Tr.), EDME(TOT), EDME(Dev.), EDME(W), ED(PC)I, ED(PC)II, ED(PP), ED(Project), ED(Project)/DMRC, EDRE, ED(Safety), JS, JS(C), JS€, JS(P), IG./RPF(Hqs), IG/RS, ED(S9g.), ED(Stat&Econ.), EDRS(C), EDRS(G), EDRS(P), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), EDTT(M), EDT(MC), EDT(P), ED(T&C), EDCE(P), ED(PM), ED(PG), EDTC-I, EDTC(FM), EDTT(F), EDTT(FM), EDTT(S), EDV(A), EDVE, EDV(T), ED(W).
V. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
VI. E(Trg.), E(NG)I, E(NG)II, E(G), F(E)I, F(E)II, F(E)III, E(SCT)I, E(SCT)II branches of Railway Board.

आरबीई सं. 51 /2015

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

***

सं. ई(एमपीपी)2015/3/6 नई दिल्ली, दिनांक 22-05-2015

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
मेट्रो रेलवे/कोलकाता
रेलवे विद्युतीकरण/इलाहाबाद
महानिदेशक/अ.अ.मा.सं./लखनऊ
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/डीएमडब्ल्यू/पटियाला
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/कॉफमो/नई दिल्ली

विषय: भारतीय रेलों में प्रशिक्षण केन्द्रों को मान्यता देना।

कृपया बोर्ड के दिनांक 18.09.2003 के पत्र सं. ई(एमपीपी)2001/3/9 (आरबीई सं. 163/2003) का अवलोकन करें जिसमें रेलों को नए प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के प्रबंधन सेवा निदेशालय को भेजने के लिए कहा गया था ताकि उन पर विचार किया जा सके और इन्हें अनुमोदित किया जा सके।

बहरहाल, यह देखा गया है कि रेलें, सभी अनुदेशों के बावजूद क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों की अपनी मांग और जरूरतों का कोई विस्तृत विश्लेषण किए बिना और रेलवे बोर्ड की जानकारी के बिना ही नए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर रही हैं।

भारतीय रेलों में प्रशिक्षण केन्द्रों की तेजी से हो रही इस वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से, रेलवे बोर्ड ने विनिश्चय किया है कि:

- क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों में एक स्थायी समिति का गठन किया जाए, जिसमें मुख्य कार्मिक अधिकारी (संयोजक के रूप में), वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी और संबंधित विभाग का नामित प्रशिक्षण प्रबंधक शामिल हो। यह समिति मौजूदा सुविधाओं, मौजूदा अवसंरचना को ध्यान में रखते हुए नए प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित करने/मौजूदा प्रशिक्षण केन्द्रों को अपडेट करने आदि की आवश्यकता एवं मांग की और साथ ही अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए एक अथवा दो प्रशिक्षण केन्द्रों को मर्ज करने की आवश्यकता की भी समीक्षा करेगी। यह समिति मौजूदा प्रशिक्षण केन्द्रों को जारी रखने की आवश्यकता की भी समीक्षा करेगी।

- औचित्य का विस्तारपूर्वक उल्लेख करते हुए स्थायी समिति द्वारा संस्तुत सभी प्रस्तावों को बोर्ड (प्रशिक्षण निदेशालय) को अनुमोदन के लिए भेजने से पूर्व अपर महाप्रबंधक द्वारा अथवा अपर महाप्रबंधक के न होने पर महाप्रबंधक द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी।

- स्थायी समिति की यह जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करे कि उनकी क्लीयरेंस के बिना और बोर्ड के अनुमोदन के बिना कोई प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की अनुमति न दी जाए।

बोर्ड चाहता है कि रेलें/उत्पादन इकाइयां उपर्युक्त अनुदेशों का कड़ाई से पालन करें। अब से भारतीय रेलों में नए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने/उन्हें अपडेट करने अथवा प्रशिक्षण केन्द्र को मान्यता देने से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर स्थायी समिति के अनुमोदन के बिना बोर्ड में विचार नहीं किया जाएगा।

अनुराधा 21/5/15

(अनुराधा सिंह)
निदेशक(एमपीपी)
रेलवे बोर्ड

सं. ई(एमपीपी)2015/3/6 — नई दिल्ली, दिनांक 22-05-2015

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
3. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
5. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली, (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
7. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी एवं एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, 171/बी-3, बसंत लेन रेलवे कालोनी, नई दिल्ली (15 प्रतियां)।

नवीन गुप्ता

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड